न्यायालय – मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल, जिला–बैतूल (म.प्र.)

–:: विविध आदेश ::–

(नवीन आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक वर्ष–2026)

क्रमांक–226/सी.जे.एम./2026 बैतूल, दिनांक–**06–05–2026**

मैं **श्रीमती संगीता भारती राठौर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बैतूल, जिला बैतूल (म.प्र.),** माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के परिपत्र क्रमांक 8565/तीन–2–3/74 दिनांक 12.03.1977 के निर्देशानुसार तथा भा.ना.सु.सं. की धारा 12 एवं 13 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, पूर्व **न्यायिक मजिस्ट्रेटो के स्थानातंरण एवं नवीन पदस्थापना होने से**, पूर्व में प्रसारित आदेशों को अतिष्ठित (सुपरसीड) करते हुये, इस न्यायिक **जिला मुख्यालय बैतूल एवं तहसील मुख्यालय आमला, मुलताई, भैंसदेही** में पदस्थ समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट के मध्य आपराधिक कार्य विभाज़न कर, क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाऐं निश्चित् करती हूँ, जो कि माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा अनुमोदन किये जाने के उपरांत से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा:–

क्र.	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	आरक्षी केन्द्र/प्रकरण का स्वरूप व क्षेत्राधिकार
(1)	(2)	(3)
1	**श्रीमती संगीता भारती राठौर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल**	1. **आरक्षी केन्द्र--कोतवाली बैतूल, गंज बैतूल, सारणी** के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकार के **आपराधिक प्रकरण एवं खात्मा तथा एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के अल्प मात्रा के मादक पदार्थ से संबंधित (जो विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं है) के प्रकरण (ग्राम न्यायालय के प्रकरणों को छोडकर)।** 2. सम्पूर्ण बैतूल जिले के आरक्षी केन्द्रों से सम्बन्धित अपराधों की खारजा प्रतिवेदन। 3. **आरक्षी केद्र कोतवाली बैतूल, गंज बैतूल, सारणी** एवं **आबकारी वृत बैतूल एवं सारणी** के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र से **उत्पन्न म.प्र. आबकारी अधिनियम के प्रकरण।** 4. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय को छोडकर जिले के सभी मजिस्ट्रेटों द्वारा **धारा 195 द.प्र.सं. के अर्न्तगत प्रस्तुत परिवाद पत्र।** 5. सम्पूर्ण बैतूल जिले के **बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम 1986, श्रम विधि (संशोधन) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 2002, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940** के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। 6. **मुख्यालय बैतूल** के क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले **म.प्र.सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 से सम्बन्धित प्रकरण।** 7. सम्पूर्ण बैतूल जिले से उत्पन्न होने वाले **नगर पालिका अधिनियम, नापतौल अधिनियम, दुकान एवं संस्थान अधिनियम, फैक्ट्री अधिनियम के प्रकरण।**

(श्रीमती संगीता भारती राठौर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बैतूल जिला बैतूल (म.प्र.)

		8. ऐसे समस्त प्रकरण, जिनका उल्लेख इस आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक में नहीं है।
2.	**श्रीमती संघप्रिया भद्रसेन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैतूल**	1. **आरक्षी केन्द्र–चोपना** के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकार के **आपराधिक प्रकरण, भा.द.सं./भा.न्या.सं. के परिवाद–पत्र एवं खात्मा तथा एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के अल्प मात्रा के मादक पदार्थ से संबंधित(जो विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं है) के प्रकरण (ग्राम न्यायालय के प्रकरणों को छोडकर)।** 2. **आरक्षी केन्द्र–चोपना** के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले **म.प्र. आबकारी अधिनियम, धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के प्रकरण**।। 3. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण।
3.	**श्री राजकुमार भद्रसेन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैतूल**	1. **आरक्षी केन्द्र–शाहपुर, महिला थाना बैतूल** के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकार के **आपराधिक प्रकरण, भा.द.सं./भा.न्या.सं. के परिवाद–पत्र एवं खात्मा तथा एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के अल्प मात्रा के मादक पदार्थ से संबंधित (जो विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं है) के प्रकरण (ग्राम न्यायालय के प्रकरणों को छोडकर)।** 2. **आरक्षी केन्द्र–शाहपुर, महिला थाना बैतूल** के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले **म.प्र. आबकारी अधिनियम से उद्भूत समस्त तथा धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम** के प्रकरण। 3. **मुख्यालय बैतूल** के अंतर्गत आने वाले **समस्त आरक्षी केन्द्रो** से उत्पन्न **महिलाओं के विरूद्ध अपराधों (जिसमें घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के प्रकरण भी शामिल है)** के सबंध में न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी बैतूल के क्षेत्राधिकार के समस्त उद्भूत प्रकरण। 4. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।
4.	**श्री सुरेश यादव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैतूल**	1. **आरक्षी केन्द्र–बैतूल बाजार, जी.आर.पी. आमला** के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकार के **आपराधिक प्रकरण, भ्भा.द.सं./भा.न्या.सं. के परिवाद–पत्र एवं खात्मा तथा एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के अल्प मात्रा के मादक पदार्थ से संबंधित(जो विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं है) के प्रकरण (ग्राम न्यायालय के प्रकरणों को छोडकर)।** 2. **आरक्षी केद्र–बैतूल बाजार, जी.आर.पी. आमला** के अंतर्गत आने वाले **म.प्र. आबकारी अधिनियम, धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम** के प्रकरण। 3. **मुख्यालय बैतूल** के अंतर्गत आने वाले **समस्त आरक्षी केन्द्रो से उत्पन्न वन विधि, पर्यावरण विधि एवं उत्खनन विधि तथा वाईल्ड लाईफ** के अपराधो से सबंधित प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण। 4. **आर.टी.ओ. बैतूल/यातायात विभाग बैतूल** द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरण।

(श्रीमती संघप्रिया भद्रसेन)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बैतूल, जिला बैतूल (म.प्र.)

		5. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।
5.	सुश्री रश्मि खुराना न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैतूल	1. **आरक्षी केन्द्र–रानीपुर** के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकार के **आपराधिक प्रकरण, भा.द.सं./भा.न्या.सं. के परिवाद–पत्र एवं खात्मा तथा एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के अल्प मात्रा के मादक पदार्थ से संबंधित(जो विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं है) के प्रकरण (ग्राम न्यायालय के प्रकरणों को छोडकर)।** 2. **आरक्षी केद्र–रानीपुर** के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले **म.प्र. आबकारी अधिनियम से उद्भूत समस्त प्रकरण तथा धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम** के प्रकरण। 3. **आरक्षी केन्द्र–गंज** के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले **भारतीय दण्ड विधान के परिवाद–पत्र तथा धारा 138 परक्राम्य लिखत** के प्रकरण। 4. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।
6.	श्री शुमम नीमा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैतूल	1. **आरक्षी केन्द्र–चिचोली** के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकार के **आपराधिक प्रकरण, भा.द.सं./भा.न्या.सं. के परिवाद–पत्र एवं खात्मा तथा एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के अल्प मात्रा के मादक पदार्थ से संबंधित (जो विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं है) के प्रकरण (ग्राम न्यायालय के प्रकरणों को छोडकर)।** 2. **आरक्षी केद्र–चिचोली** के अंतर्गत आने वाले **म.प्र. आबकारी अधिनियम, धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम** के तहत प्रकरण। 3. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण।
7.	श्रीमती शिखा पिसाल नीमा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैतूल	1. **आरक्षी केन्द्र–शाहपुर, रानीपुर, बीजादेही, चोपना, बैतूल बाजार, चिचोली** के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले **धारा–144, 146 भा.ना.सु.सं. (थाना गंज, कोतवाली बैतूल एवं थाना सारणी के प्रकरणो को छोड़कर)** से उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकरण। 2. **आरक्षी केन्द्र–कोतवाली बैतूल** के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले **भा.द.सं./भा.न्या.सं. के परिवाद–पत्र तथा धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम** के प्रकरण। 3. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण।
8.	सुश्री कृतिका मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैतूल	1. **आरक्षी केन्द्र–थाना सारणी** के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले **धारा–144, 146 भा.ना.सु.सं. एवं भारतीय दण्ड विधान के परिवाद–पत्र तथा धारा 138 परक्राम्य लिखत** के प्रकरण। 2. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल द्वारा समय–समय पर अंतरित किये

(श्रीमती सविता भारती राठौर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बैतूल जिला बैतूल (म.प्र.)

		जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।
9.	**सुश्री शिखा शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैतूल**	1. **आरक्षी केन्द्र–बीजादेही** के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकार के **आपराधिक प्रकरण, भा.द.सं./भा.न्या.सं. के परिवाद–पत्र एवं खात्मा तथा एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के अल्प मात्रा के मादक पदार्थ से संबंधित(जो विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं है) के प्रकरण (ग्राम न्यायालय के प्रकरणों को छोडकर)।** 2. **आरक्षी केद्र–बीजादेही** के अंतर्गत आने वाले **म.प्र. आबकारी अधिनियम एवं धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम** के प्रकरण। 3. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।
10.	**श्री लक्ष्मण डोडवे अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुलताई, जिला–बैतूल**	1. **आरक्षी केन्द्र–मुलताई** के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकार के **आपराधिक प्रकरण, भा.द.सं./भा.न्या.सं. के परिवाद–पत्र एवं खात्मा तथा एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के अल्प मात्रा के मादक पदार्थ से संबंधित (जो विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं है) के प्रकरण (ग्राम न्यायालय के प्रकरणों को छोडकर)।** 2. **आरक्षी केन्द्र–मुलताई** क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले, **म.प्र. आबकारी अधिनियम से सम्बन्धित से उद्भूत समस्त प्रकरण तथा धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम** के प्रकरण। 3. **तहसील मुख्यालय–मुलताई** क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले **म.प्र.सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955** से सम्बन्धित प्रकरण। 4. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।
11.	**श्रीमती सरिता डावर वास्कले न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मुलताई, जिला–बैतूल**	1. **आरक्षी केन्द्र–साईखेड़ा** के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकार के **आपराधिक प्रकरण, भा.द.सं./भा.न्या.सं. के परिवाद–पत्र एवं खात्मा तथा एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के अल्प मात्रा के मादक पदार्थ से संबंधित (जो विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं है) के प्रकरण (ग्राम न्यायालय के प्रकरणों को छोडकर)।** 2. **तहसील मुख्यालय मुलताई** के अंतर्गत आने वाले **समस्त आरक्षी केन्द्रो** से उत्पन्न **महिलाओं के विरूद्ध अपराधों (जिसमें घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम भी शामिल है)** के सबंध में न्यायिक दण्डाधिकारी मुलताई के क्षेत्राधिकार के समस्त उद्भूत प्रकरण। 3. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।
12.	**श्री अभिजीत सिंह वास्कले न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मुलताई, जिला–बैतूल**	1. **तहसील मुख्यालय मुलताई** के अंतर्गत आने वाले **समस्त आरक्षी केन्द्रो से उत्पन्न वन विधि, पर्यावरण विधि एवं उत्खनन विधि तथा वाईल्ड लाईफ** के अपराधो से सबंधित प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण।

		2. **आरक्षी केन्द्र–साईखेड़ा** क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले, **म.प्र. आबकारी अधिनियम से सम्बन्धित से उद्भूत समस्त प्रकरण** । 3. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण।
13.	**सुश्री निशा कुरील,** **न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मुलताई, जिला–बैतूल**	1. **आरक्षी केन्द्र–मुलताई, साईखेड़ा** के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले **धारा 144, 146 भा.ना.सु.सं.** के प्रकरण। 2. **आरक्षी केन्द्र–साईखेड़ा** क्षेत्र से उत्पन्न होने वाल **धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम** के प्रकरण। 3. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।
14.	**श्री कुशाग्र अग्रवाल,** **न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला, जिला–बैतूल**	1. **आरक्षी केन्द्र–आमला** के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकार के **आपराधिक प्रकरण, भा.द.सं./भा.न्या.सं. के परिवाद–पत्र एवं खात्मा तथा एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के अल्प मात्रा के मादक पदार्थ (जो विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं है) के प्रकरण (ग्राम न्यायालय के प्रकरणों को छोडकर)।** 2. **आरक्षी केन्द्र–आमला** के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले **म.प्र. आबकारी अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण** । 3. **तहसील मुख्यालय, आमला** के अंतर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न **महिलाओं के विरूद्ध अपराधों (जिसमें घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम भी शामिल है)** के सबंध में न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी आमला के क्षेत्राधिकार के समस्त उद्भूत प्रकरण। 4. **तहसील मुख्यालय आमला** क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले, म.प्र.सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 से सबंधित प्रकरण । 5. **तहसील मुख्यालय आमला** के अंतर्गत समस्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न होने वाले **वन विधि, पर्यावरण विधि, उत्खनन विधि तथा वाईल्ड लाईफ** के अपराधो से सबंधित प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण। 6. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।
15.	**श्री राहुल निरंकारी** **न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला, जिला–बैतूल**	1. **आरक्षी केन्द्र–बोरदेही** के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकार के **आपराधिक प्रकरण, भारतीय दण्ड विधान के परिवाद–पत्र एवं खात्मा तथा एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के अल्प मात्रा के मादक पदार्थ से संबंधित (जो विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं है)** के प्रकरण **(ग्राम न्यायालय के प्रकरणों को छोडकर)।** 2. **आरक्षी केन्द्र–बोरदेही** के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले **म.प्र. आबकारी अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण तथा धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम** के प्रकरण।

(श्रीमती [illegible] राठौर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बैतूल जिला बैतूल (म.प्र.)

		3. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।
16.	**सुश्री गार्गी शर्मा** **न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला, जिला–बैतूल**	1. **आरक्षी केन्द्र–आमला, बोरदेही** के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले **धारा 144, 146 भा.ना.सु.सं.** से सम्बन्धित प्रकरण। 2. **आरक्षी केन्द्र–आमला** के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले **धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम** के प्रकरण। 3. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।
17.	**श्रीमती सुनीता तारामन** **न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मैसदेही, जिला–बैतूल**	1. **आरक्षी केन्द्र–मैसदेही, झल्लार** के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकार के **आपराधिक प्रकरण, भा.द.सं./भा.न्या.सं. के परिवाद–पत्र एवं खात्मा तथा एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के अल्प मात्रा के मादक पदार्थ से संबंधित (जो विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं है) प्रकरण (ग्राम न्यायालय के प्रकरणों को छोडकर)।** 2. **आरक्षी केन्द्र–मैसदेही, झल्लार** के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले **म.प्र. आबकारी अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण तथा धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम** के प्रकरण। 3. **तहसील मुख्यालय मैंसदेही** के अंतर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न **महिलाओं के विरूद्ध अपराधों (जिसमें घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम भी शामिल है)** के सबंध में न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी भैंसदेही के क्षेत्राधिकार के समस्त उद्भूत प्रकरण। 4. **आरक्षी केन्द्र–मैसदेही, झल्लार, आठनेर, मोहदा** के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले **धारा 144, 146 भा.ना.सु.सं.** से सम्बन्धित प्रकरण। 5. **तहसील–मैसदेही तथा झल्लार क्षेत्र एवं आरक्षी केन्द्र चिचोली की चौकी भीमपुर** जो तहसील भैसदेही के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले **म.प्र.सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955** से सम्बन्धित प्रकरण। 6. **तहसील मुख्यालय मैंसदेही** के अंतर्गत समस्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न होने वाले **वन विधि, पर्यावरण विधि, उत्खनन विधि तथा वाईल्ड लाईफ** के अपराधो से सबंधित प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण। 7. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण ।
16.	**श्री महेन्द्र सिंह मेहसन,** **न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मैसदेही, जिला–बैतूल**	1. **आरक्षी केन्द्र–आठनेर, मोहदा** के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकार के **आपराधिक प्रकरण, भा.द.सं./भा.न्या.सं. के परिवाद–पत्र एवं खात्मा तथा एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के अल्प मात्रा के मादक पदार्थ से संबंधित प्रकरण (जो विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं है)** के प्रकरण **(ग्राम न्यायालय के**

(श्रीमती सुनीता तारामन)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
मैसदेही जिला बैतूल (म.प्र.)

		प्रकरणों को छोडकर)। 2. **आरक्षी केन्द्र–आठनेर, मोहदा** के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले **म.प्र. आबकारी अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण तथा धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम** के प्रकरण। 3. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण ।

नोट :–

1. बैतूल जिले में पदस्थ सभी न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने क्षेत्राधिकार में माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, बैतूल से अनुमति प्राप्त कर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल को सूचना देकर प्रत्येक माह में अपने न्यायालय का न्यायिक कार्य प्रभावित किये बिना चलित न्यायालय लगा सकेंगे।
2. इस कार्य विभाजन पत्रक का प्रभाव उन प्रकरणों, परिवाद–पत्र, विविध प्रकरण व आवेदनों पर नहीं पड़ेगा, जो सम्बन्धित न्यायालय मे पूर्व से लम्बित हैं एवं जिनका निराकरण करने के लिये वह न्यायालय सक्षम हैं।
3. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय की पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय से प्रस्थान नहीं करेंगे तथा प्रस्थान करने के तीन दिवस पूर्व इसकी सूचना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं प्रभारी मजिस्ट्रेट को भी देंगे।
4. भा.ना.सु.सं. की धारा 196 के अन्तर्गत मृत्यु के कारण की जांच जिस मजिस्ट्रेट की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर या जिसके द्वारा प्राधिकृत अभिरक्षा में अपराध किया गया है या जिसको इस हेतु अधिकृत किया जाता है, उस मजिस्ट्रेट द्वारा जांच की जावेगी।
5. **परिशिष्ट**–''**अ**'', परिशिष्ट–''**ब**'', परिशिष्ट–''**स**'', परिशिष्ट–''**द**'' इस आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक के अंग समझे जावेगे।
6. किसी भी मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने या किसी कर्तव्य में व्यस्त रहने की दशा में उनके क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न होने वाले अत्यावश्यक प्रकृति के आपराधिक प्रकरण **परिशिष्ट**–''**अ**'' में उनके नाम से अगले क्रम में दर्शाये गये मजिस्ट्रेटों के न्यायालय में प्रस्तुत किये जा सकेंगे और वे उन्हें अपने न्यायालय में पंजीबद्ध करके उनका विधि अनुसार निराकरण कर सकेंगे।
7. **रिक्त न्यायालयों के सम्बन्ध** में ऐसे न्यायालय जो वर्तमान में रिक्त हैं, के मान्नीय अपीलीय न्यायालयों से प्राप्त होने वाले निर्देशों का पालन, अपीलीय न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशो के पालन में सजा वारण्ट व जेल वारण्ट का बनाया जाना इत्यादि सभी सम्बन्धित कार्य एवं उनके न्यायालयों के द्वारा पारित धारा 125, 127, 128 द.प्र.सं./144, 146 एवं 147 भा.ना.सु.सं. के आदेशों के तहत जमा की जाने वाली राशि एवं वापसी से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही एवं आवश्यक कार्यों का विचारण **जिला मुख्यालय बैतूल** पर **श्री शुभम नीमा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,** तहसील न्यायालय **मुलताई** पर **श्री अभिजीत वास्कले न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,** तहसील न्यायालय **भैंसदेही** पर **श्रीमती सुनीता ताराम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी** तथा तहसील न्यायालय **आमला** पर **श्री कुशाग्र अग्रवाल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी** करेंगे तथा उनकी अनुपस्थिति में **परिशिष्ट**–''**अ** में दर्शाये गये उनके प्रभार अनुसार करेंगे।
8. **रिक्त न्यायालयों के सम्बन्ध** में ऐसे न्यायालय जो वर्तमान में रिक्त हैं, उनके द्वारा जारी किये गये **स्थाई गिरफ्तारी वारण्ट** का निराकरण **वर्तमान कार्य विभाजन पत्रकानुसार आरक्षी केन्द्र से संबंधित क्षेत्राधिकारिता वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा किया जावेगा।**
9. भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 23–12–2022 के अनुसार **स्वापक औषधि अधिनियम 1985** के अंतर्गत **धारा–52'ए' एन.डी. पी.एस. एक्ट की सेंपलिग कार्यवाही**

(श्रीमती सुगीता भारती राठौर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बैतूल जिला बैतूल (म.प्र.)

संबंधित आरक्षी केन्द्रो के क्षेत्राधिकारिता रखने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा **एवं आरक्षी केन्द्र–कोतवाली बैतूल, गंज बैतूल** के **श्री शुभम नीमा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैतूल तथा आरक्षी केन्द्र–सारणी** के **श्री राजकुमार भद्रसेन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैतूल** द्वारा संपादित की जावेगी तथा उनकी अनुपस्थिति में वर्तमान कार्यविभाजन पत्रक **परिशिष्ट**–''**अ** में दर्शाये गये उनके प्रभार अनुसार करेंगे।

–:: सामान्य निर्देश ::–

1. न्यायिक कार्य करते समय मजिस्ट्रेट इस तथ्य को विशेष ध्यान में रखेंगे कि उनके द्वारा उन्हें कॉलम नंबर–03(आरक्षी केन्द्र/प्रकरण का स्वरूप व क्षेत्राधिकार)में प्रदत्त क्षेत्राधिकारिता के अनुरूप ऐसे प्रकरणों को छोड़कर ही न्यायिक कार्य किया जावे, जिनकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार विशेष न्यायालय को है या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बैतूल को है एवं कार्य विभाजन पत्रक में क्षेत्राधिकारिता से सम्बन्धित कोई भ्रम की स्थिति निर्मित होने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बैतूल द्वारा दिया गया निर्देश अंतिम होगा।

2. किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने पर या पद रिक्त होने पर या किसी कार्य में व्यस्त रहने की दशा में उनके न्यायालय में प्रस्तुत स्वीकृति से सम्बन्धित समरी प्रकरणों का निराकरण उनके न्यायालय के प्रभारी मजिस्ट्रेट द्वारा विधिवत किया जाएगा।

3. यदि कोई मजिस्ट्रेट अवकाश पर रहते हैं या स्थानांतरण हो जाने के कारण या अन्य किसी कारण से उनका पद रिक्त रहता है, तो ऐसी स्थिति में कार्य व्यवस्था के अन्तर्गत निर्दिष्ट किये गये मजिस्ट्रेट का नाम स्वतः ही पदस्थापित माना जायेगा।

(श्रीमती संगीता भारती राठौर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल

–:: परिषिष्ट – 'अ' ::–

इस सारणी में बताये गये पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेटों के अवकाश पर रहने या अनुपस्थिति की दषा में उनके नामों के समक्ष (क्रम में) दर्षाये गये मजिस्ट्रेट कार्य करेंगे :–

अनु. क्र.	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	कॉलम नं.–02 के मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में जो मजिस्ट्रेट कार्य देखेंगे	कॉलम नं.–02 व 03 के मजिस्ट्रेटों की अनुपस्थिति में जो मजिस्ट्रेट कार्य देखेंगे	कॉलम नं.–02, 03 व 04 के मजिस्ट्रेटों की अनुपस्थिति में जो मजिस्ट्रेट कार्य देखेंगे
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1.	श्रीमती संगीता भारती राठौर C.J.M., Betul	श्री सुरेश यादव J.M.F.C., Betul	श्रीमती संघप्रिया भद्रसेन J.M.F.C., Betul	श्री शुभम नीमा J.M.F.C., Betul
2.	श्रीमती संघप्रिया भद्रसेन J.M.F.C., Betul	सुश्री रश्मि खुराना J.M.F.C., Betul	श्री शुभम नीमा, J.M.F.C., Betul	सुश्री कृतिका मिश्रा J.M.F.C., Betul
3.	श्री राजकुमार भद्रसेन J.M.F.C., Betul	श्रीमती शिखा पिसाल नीमा, J.M.F.C., Betul	सुश्री शिखा शर्मा J.M.F.C., Betul	सुश्री रश्मि खुराना J.M.F.C., Betul
4.	श्री सुरेश यादव J.M.F.C., Betul	श्री शुभम नीमा J.M.F.C., Betul	सुश्री कृतिका मिश्रा J.M.F.C., Betul	श्रीमती संघप्रिया भद्रसेन J.M.F.C., Betul
5.	सुश्री रश्मि खुराना J.M.F.C., Betul	श्रीमती संघप्रिया भद्रसेन J.M.F.C., Betul	सुश्री कृतिका मिश्रा J.M.F.C., Betul	श्री शुभम नीमा J.M.F.C., Betul
6.	श्री शुभम नीमा J.M.F.C., Betul	सुश्री कृतिका मिश्रा J.M.F.C., Betul	श्रीमती संघप्रिया भद्रसेन J.M.F.C., Betul	सुश्री रश्मि खुराना J.M.F.C., Betul
7.	श्रीमती शिखा पिसाल नीमा, J.M.F.C., Betul	सुश्री शिखा शर्मा J.M.F.C., Betul	श्री राजकुमार भद्रसेन J.M.F.C., Betul	सुश्री कृतिका मिश्रा J.M.F.C., Betul
8.	सुश्री कृतिका मिश्रा J.M.F.C., Betul	श्री सुरेश यादव J.M.F.C., Betul	सुश्री रश्मि खुराना J.M.F.C., Betul	श्रीमती संघप्रिया भद्रसेन J.M.F.C., Betul

(श्रीमती संगीता भारती राठौर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बैतूल, (म.प्र.)

9.	सुश्री शिखा शर्मा J.M.F.C., Betul	श्रीमती शिखा पिसाल नीमा, J.M.F.C., Betul	श्री राजकुमार भद्रसेन J.M.F.C., Betul	सुश्री कृतिका मिश्रा J.M.F.C., Betul
10.	श्री लक्ष्मण डोडवे, A.C.J.M., Multai	श्रीमती सरिता डावर वास्कले J.M.F.C., Multai	श्री अभिजीत वास्कले J.M.F.C., Multai	सुश्री निशा कुरील, J.M.F.C., Multai
11.	श्रीमती सरिता डावर वास्कले J.M.F.C., Multai	श्री लक्ष्मण डोडवे, A.C.J.M., Multai	सुश्री निशा कुरील, J.M.F.C., Multai	श्री अभिजीत वास्कले J.M.F.C., Multai
12.	श्री अभिजीत वास्कले J.M.F.C., Multai	सुश्री निशा कुरील, J.M.F.C., Multai	श्रीमती सरिता डावर वास्कले J.M.F.C., Multai	श्री लक्ष्मण डोडवे, A.C.J.M., Multai
13.	सुश्री निशा कुरील, J.M.F.C., Multai	श्रीमती सरिता डावर वास्कले J.M.F.C., Multai	श्री अभिजीत वास्कले J.M.F.C., Multai	श्री लक्ष्मण डोडवे, A.C.J.M., Multai
14.	श्रीमती सुनीता ताराम J.M.F.C., Bhaisdehi	श्री महेन्द्र सिंह मेहसन J.M.F.C., Bhaisdehi	सुश्री रश्मि खुराना, J.M.F.C., Betul	सुश्री कृतिका मिश्रा J.M.F.C., Betul
15.	श्री महेन्द्र सिंह मेहसन J.M.F.C., Bhaisdehi	श्रीमती सुनीता ताराम J.M.F.C., Bhaisdehi	श्रीमती शिखा पिसाल नीमा, J.M.F.C., Betul	सुश्री शिखा शर्मा J.M.F.C., Betul
16.	श्री कुशाग्र अग्रवाल J.M.F.C., Amla	श्री राहुल निरंकारी, J.M.F.C., Amla	सुश्री गार्गी शर्मा J.M.F.C., Amla	सुश्री निशा कुरील, J.M.F.C., Multai
17.	श्री राहुल निरंकारी J.M.F.C., Amla	सुश्री गार्गी शर्मा J.M.F.C., Amla	श्री कुशाग्र अग्रवाल J.M.F.C., Amla	श्री अभिजीत वास्कले J.M.F.C., Multai
18.	सुश्री गार्गी शर्मा J.M.F.C., Amla	श्री राहुल निरंकारी J.M.F.C., Amla	श्री कुशाग्र अग्रवाल J.M.F.C., Amla	सुश्री निशा कुरील, J.M.F.C., Multai

नोटः— 1. उपरोक्त कॉलम नम्बर—**03, 04 व 05** नामांकित मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति मे **कॉलम न0—02** में दर्शित मजिस्ट्रेट के न्यायालय का आवश्यक आपराधिक कार्य **जिला मुख्यालय पर उपस्थित वरिष्ठ मजिस्ट्रेट** (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को छोड़कर) **एवं तहसील मुख्यालय पर उपस्थित वरिष्ठ/मजिस्ट्रेट द्वारा संपादित किया जायेगा।**

2. प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड के अवकाश पर रहने पर किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य द्वारा कार्य संपादित किया जावेगा तथा किन्ही कारण वश उनके भी अनुपस्थित रहने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बैतूल द्वारा कार्य संपादित किया जावेगा।

(श्रीमती संगीता भारती राठौर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल

—:: परिषिष्ट — 'ब' ::—

इस सारणी में बताये गये पदस्थ **क्रमांक—02 के मजिस्ट्रेट से संबंधित आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत धारा 164 दं.प्र.सं./183 भा.ना.सु.सं. (महिलाओ से संबंधित प्रकरणों को छोड़कर)** के आवेदन—पत्रों का निराकरण एवं कथनों का अभिलेखन कॉलम नम्बर—03 में दर्शाए गये न्यायिक मजिस्ट्रेट, तथा कॉलम नम्बर—3 में दर्शाये गये मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में कॉलम नम्बर—4 में दर्षाए गये न्यायिक मजिस्ट्रेट, और कॉलम नम्बर—4 में दर्शाये गये मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में कॉलम नम्बर—5 में दर्षाए गये न्यायिक मजिस्ट्रेट, और कॉलम नम्बर—5 में दर्शाये गये मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में बैतूल मुख्यालय पर उपस्थित रहे वरिष्ठ मजिस्ट्रेट (मुख्य न्यायिक मजिट्रेट को छोड़कर) द्वारा किया जायेगा।

अनु. क्र.	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	कॉलम नं.—02 में वर्णित मजिस्ट्रेट से संबंधित आरक्षी केन्द्र के कथन	कॉलम नं.—03 के मजिस्ट्रेटों की अनुपस्थिति में जो मजिस्ट्रेट कार्य देखेंगे	कॉलम नं.—03 व 04 के मजिस्ट्रेटों की अनुपस्थिति में जो मजिस्ट्रेट कार्य देखेंगे
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1.	श्रीमती संगीता भारती राठौर C.J.M., Betul	श्रीमती संघप्रिया भद्रसेन J.M F C, Betul	श्री शुभम नीमा J.M.F.C., Betul	सुश्री कृतिका मिश्रा J.M.F.C., Betul

2.	श्रीमती संघप्रिया भद्रसेन J.M F C, Betul	श्री शुभम नीमा J.M.F.C., Betul	सुश्री रश्मि खुराना J.M.F.C., Betul	सुश्री शिखा शर्मा J.M.F.C., Betul
3.	श्री राजकुमार भद्रसेन J.M.F.C., Betul	सुश्री रश्मि खुराना J.M.F.C., Betul	सुश्री कृतिका मिश्रा J.M.F.C., Betul	श्रीमती शिखा पिसाल नीमा, J.M.F.C., Betul
4.	श्री सुरेश यादव J.M.F.C., Betul	सुश्री कृतिका मिश्रा J.M.F.C., Betul	श्रीमती शिखा पिसाल नीमा, J.M.F.C., Betul	सुश्री रश्मि खुराना J.M.F.C., Betul
5.	सुश्री रश्मि खुराना J.M.F.C., Betul	सुश्री शिखा शर्मा J.M F C, Betul	सुश्री कृतिका मिश्रा J.M.F.C., Betul	श्री सुरेश यादव, J.M.F.C., Betul
6.	श्री शुभम नीमा J.M.F.C., Betul	श्री राजकुमार भद्रसेन J.M.F.C., Betul	सुश्री शिखा शर्मा J.M.F.C., Betul	श्रीमती शिखा पिसाल नीमा J.M.F.C., Betul
7.	सुश्री शिखा शर्मा J.M.F.C., Betul	श्रीमती शिखा पिसाल नीमा, J.M.F.C., Betul	सुश्री रश्मि खुराना J.M.F.C., Betul	श्री राजकुमार भद्रसेन J.M.F.C., Betul
8.	श्री लक्ष्मण डोडवे, A.C.J.M., Multai	श्री अभिजीत वास्कले J.M.F.C., Multai	श्रीमती सरिता डावर वास्कले J.M.F.C., Multai	सुश्री निशा कुरील J.M.F.C., Multai
9.	श्रीमती सरिता डावर वास्कले J.M.F.C., Multai	सुश्री निशा कुरील J.M.F.C., Multai	श्री अभिजीत वास्कले J.M.F.C., Multai	श्री लक्ष्मण डोडवे, A.C.J.M., Multai
10.	श्रीमती सुनीता तारम J.M.F.C., Bhaisdehi	श्री महेन्द्र सिंह मेहसन J.M.F.C., Bhaisdehi	श्री शुभम नीमा J.M.F.C., Betul	सुश्री शिखा शर्मा J.M.F.C., Betul
11.	श्री महेन्द्र सिंह मेहसन J.M.F.C., Bhaisdehi	श्रीमती सुनीता तारम J.M.F.C., Bhaisdehi	सुश्री शिखा शर्मा J.M.F.C., Betul	सुश्री कृतिका मिश्रा J.M.F.C., Betul
12.	श्री कुशाग्र अग्रवाल J.M.F.C., Amla	श्री राहुल निरंकारी J.M.F.C.,Amla	सुश्री गार्गी शर्मा J.M.F.C., Amla	सुश्री निशा कुरील, J.M.F.C., Multai
13.	श्री राहुल निरंकारी J.M.F.C., Amla	सुश्री गार्गी शर्मा J.M.F.C., Amla	श्री कुशाग्र अग्रवाल J.M.F.C., Amla	श्रीमती सरिता डावर वास्कले J.M.F.C., Multai

नोटः— 1. उपरोक्त कॉलम नम्बर–03, 04 व 05 नामांकित मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में **जिला मुख्यालय पर उपस्थित मजिस्ट्रेट** (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को छोड़कर) **एवं तहसील मुख्यालय पर उपस्थित वरिष्ठ/मजिस्ट्रेट द्वारा संपादित किया जायेगा।**

(श्रीमती संगीता भारती राठौर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल

—:: परिषिष्ट – 'स' ::—

धारा 164 द.प्र.सं. के अधीन संस्वीकृतियॉ जहां–जहां शब्द "अभियोक्त्री/पीड़िता (महिला उत्पीड़न से संबंधित) प्रकरणों के कथन अंकित किए जाने हेतु निम्नानुसार कार्यभार सौंपा जाता है :—

क्रमांक	न्यायिक अधिकारियो के नाम	आरक्षी केंद्र
1.	**श्रीमती संघप्रिया भद्रसेन** **न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैतूल**	1 आरक्षी केन्द्र— **कोतवाली बैतूल** 2. आरक्षी केन्द्र— **रानीपुर** 3. आरक्षी केन्द्र— **मैंसदेही**
2.	**सुश्री रश्मि खुराना,** **न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैतूल**	1. आरक्षी केन्द्र— **जी.आर.पी. आमला** 2. आरक्षी केन्द्र— **बीजादेही** 3. आरक्षी केन्द्र— **शाहपुर**
3.	**सुश्री कृतिका मिश्रा,** **न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैतूल**	1. आरक्षी केन्द्र— **बैतूल–बाजार** 2. आरक्षी केन्द्र— **महिला थाना बैतूल** 3. आरक्षी केन्द्र— **झल्लार**

4.	**श्रीमती शिखा पिसाल नीमा,** **न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैतूल**	1. आरक्षी केन्द्र— **चिचोली** 2. आरक्षी केन्द्र— **आठनेर** 3. आरक्षी केन्द्र— **मोहदा**
5.	**सुश्री शिखा शर्मा,** **न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैतूल**	1. आरक्षी केन्द्र— **सारणी** 2. आरक्षी केन्द्र— **गंज बैतूल** 3. आरक्षी केन्द्र— **चोपना**
6.	**सुश्री निशा कुरील,** **न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैतूल**	1. आरक्षी केन्द्र— **साईखेड़ा** 2. आरक्षी केंद्र— **मुलताई**
7.	**सुश्री गार्गी शर्मा,** **न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला**	1. आरक्षी केन्द्र— **बोरदेही** 2. आरक्षी केंद्र— **आमला**

—:: परिषिष्ट – 'द' ::—

इस सारणी मे जिला मुख्यालय एवं तहसील मुख्यालयों मे पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेटो के अवकाश पर रहने या अनुपस्थिति की दशा मे —:: **परिशिष्ट – 'स'** ::— के अनुसार कार्य के संपादन हेतु उनके नामो के समक्ष (क्रम मे) मजिस्ट्रेट कार्य करेगे –

अनु. क्र.	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	कॉलम नं.–02 के मजिस्ट्रेट की न्यायालय का जो मजिस्ट्रेट कार्य देखेंगे	कॉलम नं.–02 व 03 के मजिस्ट्रेटों की अनुपस्थिति में जो मजिस्ट्रेट कार्य देखेंगे	कॉलम नं.–02, 03 व 04 के मजिस्ट्रेटों की अनुपस्थिति में जो मजिस्ट्रेट कार्य देखेंगे
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1.	श्रीमती संघप्रिया भद्रसेन J.M.F.C., Betul	सुश्री रश्मि खुराना J.M.F.C., Betul	सुश्री शिखा शर्मा J.M.F.C., Betul	श्रीमती शिखा पिसाल नीमा J.M.F.C., Betul
2.	सुश्री रश्मि खुराना J.M.F.C., Betul	सुश्री शिखा शर्मा J.M.F.C., Betul	श्रीमती संघप्रिया भद्रसेन J.M.F.C., Betul	सुश्री कृतिका मिश्रा J.M.F.C., Betul
3.	श्रीमती शिखा पिसाल नीमा J.M.F.C., Betul	सुश्री कृतिका मिश्रा, J.M.F.C., Betul	सुश्री रश्मि खुराना J.M.F.C., Betul	सुश्री शिखा शर्मा J.M.F.C., Betul
4.	सुश्री कृतिका मिश्रा, J.M.F.C., Betul	श्रीमती संघप्रिया भद्रसेन J.M.F.C., Betul	श्रीमती शिखा पिसाल नीमा J.M.F.C., Betul	सुश्री रश्मि खुराना J.M.F.C., Betul
5.	सुश्री शिखा शर्मा, J.M.F.C., Betul	श्रीमती शिखा पिसाल नीमा J.M.F.C., Betul	सुश्री कृतिका मिश्रा, J.M.F.C., Betul	श्रीमती संघप्रिया भद्रसेन J.M.F.C., Betul
6.	सुश्री निशा कुरील J.M.F.C., Multai	श्रीमती सरिता डावर वास्कले J.M.F.C., Multai	सुश्री गार्गी शर्मा J.M.F.C., Amla	सुश्री रश्मि खुराना J.M.F.C., Betul
7.	श्रीमती सरिता डावर वास्कले J.M.F.C., Multai	सुश्री निशा कुरील J.M.F.C., Multai	सुश्री गार्गी शर्मा J.M.F.C., Amla	सुश्री कृतिका मिश्रा, J.M.F.C., Betul
8.	सुश्री गार्गी शर्मा J.M.F.C., Amla	सुश्री निशा कुरील J.M.F.C., Multai	श्रीमती सरिता डावर वास्कले J.M.F.C., Multai	श्रीमती शिखा पिसाल नीमा J.M.F.C., Betul
9.	श्रीमती सुनीता तारम J.M.F.C., Bhainsdehi	श्रीमती शिखा पिसाल नीमा J.M.F.C., Betul	सुश्री कृतिका मिश्रा, J.M.F.C., Betul	सुश्री शिखा शर्मा J.M.F.C., Betul

नोटः— 1. उपरोक्त कॉलम नम्बर—**03, 04 व 05** नामांकित मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में **जिला मुख्यालय पर उपस्थित वरिष्ठ मजिस्ट्रेट** (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को छोड़कर) **एवं तहसील मुख्यालय पर उपस्थित वरिष्ठ/मजिस्ट्रेट द्वारा संपादित किया जायेगा।**

(आशना कुमार भारती राठौर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बैतूल (म.प्र.)

2. **बलात्कार एवं पॉस्को एक्ट से उत्पन्न धारा–164 द0प्र0स0/183 भा.ना.सु.सं.** के कथन **जिला–मुख्यालय बैतूल** पर **सुश्री कृतिका मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी** द्वारा एवं तहसील **मुख्यालय–मुलताई** पर **सुश्री निशा कुरील, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी** द्वारा, **तहसील मुख्यालय भैसदेही** के **श्रीमती सुनीता ताराम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी** द्वारा तथा **तहसील मुख्यालय आमला** के **सुश्री गार्गी शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला** द्वारा लिपिबद्ध किये जायेगे एवं उनकी अनुपस्थिति में **परिशिष्ट "द"** के अनुसार कार्य किया जावेगा।

2. सम्पूर्ण बैतूल जिले के आरक्षी केन्द्रो से उत्पन्न होने वाले **अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम** के अंतर्गत धारा **164 द0प्र0स0/183 भा.ना.सु.सं.** के तहत कथन, **श्रीमती संघप्रिया भद्रसेन न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, बैतूल** द्वारा लिपिबद्ध किये जायेगे एवं उनकी अनुपस्थिति में परिशिष्ट **"ब"** के अनुसार कार्य किया जावेगा।

माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, बैतूल की ओर उक्त आपराधिक कार्यविभाजन पत्रक अनुमोदन हेतु सादर प्रेषित है।

6-5-26

(श्रीमती संगीता भारती राठौर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बैतूल
जिला–बैतूल म0प्र0

(अनुमोदित)

6/5/26
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बैतूल(म.प्र.)

पृष्ठा. कमांक 238 /सी.जे.एम./2026 **बैतूल, दिनांक 09–05–2026**

प्रतिलिपि:–

(1) माननीय प्रिंसिपल रजिस्ट्रार महोदय (न्यायिक), उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर।
(2) श्रीमती संघप्रिया भद्रसेन/श्री राजकुमार भद्रसेन/सुश्री रश्मि खुराना/श्रीमती सुनीता ताराम/श्रीमती सरिता डावर वास्कले/श्री अभिजीत सिंह वास्कले/श्री कुशाग्र अग्रवाल/श्री राहुल निरंकारी/श्री सुरेश यादव/सुश्री निशा कुरील/श्री शुभम नीमा/श्रीमती शिखा पिसाल नीमा/श्री महेन्द्र सिंह मेहसन/सुश्री कृतिका मिश्रा/सुश्री शिखा शर्मा/सुश्री गार्गी शर्मा न्या.म.प्र.श्रे. **बैतूल/मुलताई/आमला/भैंसदेही** की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
(3) प्रस्तुतकार, माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, बैतूल।
(4) कार्यालय–जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, बैतूल।

(5) अभिभाषक संघ, बैतूल/मुलताई/भैंसदेही/आमला।
(6) जिला/अति. अभियोजन अधिकारी, बैतूल/मुलताई/भैंसदेही/आमला।
(7) श्रीमान जिला दण्डाधिकारी महोदय, बैतूल।
(8) श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, बैतूल।
(9) **थाना प्रभारी, थाना–कोतवाली बैतूल/महिला थाना बैतूल/गंज बैतूल/सारनी/जीआर.पी.आमला/झल्लार/बीजादेही/ए.जे.के बैतूल/शाहपुर/चोपना/रानीपुर/बैतूल बाजार/मुलताई/साईंखेड़ा/बोरदेही/आमला/भैंसदेही/चिचोली/आठनेर/मोहदा।**

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(श्रीमती संगीता भारती सठौर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल
जिला–बैतूल (म.प्र.)